पत्र संख्या–14 / डी0एल0ए0 एस0 एस0 बी0 मधुबनी– 11 / 13–   दि0–

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन शाखा मधुबनी)
अधिघोषणा

संख्या–........./डी.एल.ए.मधुबनी/2012..1587/रा0   दिनांक...20...06-13

चूँकि अपर समाहत्ता को यह प्रतीत होता है कि मौजा वासुदेवपुर(टोले अरनामा) थाना न.– 25 थाना– फूलपरास, परगना– **अलापुर, अंचल–खुटौना** जिला–**मधुबनी** में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात एस0एस0बी कैम्प वासुदेवपुर (टोले अरनामा) स्थापनार्थ के निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त गॉव वासुदेवपुर(टोले अरनामा) के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप के कमोवेश रकवा– 02.56 एकड़ होता है। अर्जनाधीन भूमि की सूची निम्न प्रकार है –

पूर्ण खेसरा नं0– 4765,4766,4767,4751.
अंश खेसरा नं.– 4748,4750,4752.

सीमा सूचीः–

उत्तरः– खेसरा नं0– 4763,4764,4756,4755,4754,4752.

दक्षिणः– खेसरा न0– 4770,4768,4750,4748.

पूरबः– खेसरा न0– सड़क

पश्चिम :–खेसरा न0– 4763 एवं 4771.

भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिज की खानो की आवश्यकता नहीं है किन्तु खानो और खनिजो के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदना, या उपयोग में लाना आवश्यक हो तो ले लिए जाऐंगे।

यह अधिघोषणा अधिनियम 1,1894 की धारा(6) और अधिनियम 18, 1885 की धारा 3 के खंड (1)के उपबंधो के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे संबंध हो।

भूमि का नक्सा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मधुबनी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

23.3.13

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी मधुबनी	अपर समाहर्ता मधुबनी	समाहर्ता मधुबनी	सरकार के सचिव

ज्ञापांक–1587/रा0 / भू–अर्जन, पटना, दिनांक....20...06...13

प्रतिलिपिः– निदेशक, सूचना एंव जन सर्म्पक निदेशालय , पटना को दो प्रतियों में सिडी सहित दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमे एक स्थानिय भाषा में हो एंव कतरण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी ,मधुबनी को शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा करें।

प्रतिलिपिः– प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट शाखा, समाहरणालय, मधुबनी को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि अधोहसताक्षरी को 5 प्रति प्रकाशित गजट की प्रति शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा करें।

प्रतिलिपिः–समाहर्ता, मधुबनी/ अपर समाहर्ता मधुबनी/जिला भू–अर्जन पदाधिकारी मधुबनी को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपिः– कमांडेन्ट एस.एस.बी. राजनगर को सूचानार्थ प्रेषित।

13/6/13

सरकार के सचिव